**रसायनिक और गैर-रसायनिक उर्वरकों का विकास करने के लिए अनुसंधान**

5666. **श्रीमती सुषमा स्वराज:**
**श्री राम जेठमलानी:**

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा देश में रसायनिक उर्वरकों और गैर-रसायनिक उर्वरकों के विस्तार और विकास हेतु अनुसंधान गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए कोई भावी योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो वित्त वर्ष 1994-95 के दौरान कौन-कौन से सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के संगठन उर्वरक अनुसंधान में लगे हुए थे;

(ग) या सरकार द्वारा इन संगठनों की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान कब-कब और क्या-क्या प्रोत्साहन दिए गए; और

(ङ) वर्ष 1991-92 से मार्च 1995 की अवधि के दौरान उर्वरक क्षेत्र में क्या-क्या नए शोध किये गए हैं?

**रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एलुआर्डो फेलेरियो):** (क) और (ख) निम्नलिखित सरकारी और गैर-सरकारी उर्वरक कम्पनियों के पास सुविकसित आन्तरिक अनुसंधान एवं विकास सुविधाएं हैं:—

(1) प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लि०, सिन्दरी (बिहार)

(2) फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लि०, उद्योगमण्डल (केरल)

(3) राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि०, बम्बई (महाराष्ट्र)

(4) गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कम्पनी लि०, बडौदा (गुजरात)

(5) साउदर्न पैट्रो केमिकल इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लि०, तूतीकोरिन (तमिलनाडु)

(6) गुजरात नर्वदा वैली फर्टिलाइजर कम्पनी लि०, भडौच (गुजरात) और

(7) धरमसी मोरारजी केमिकल कम्पनी लि०, अम्बरनाथ (महाराष्ट्र)।

इसके अलावा, प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लि० (पीडीआईएल), जो इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, ने कृषि दक्ष फार्मूलों और उत्पाद मिश्रणों को विकसित करने के लिए अनुसंधान योजनाओं का निर्माण किया है।

(ग) और (घ) मान्यता प्राप्त अनुसंधान एवं विकास संस्था विभिन्न प्रोत्साहनों की हकदार हैं। ये निम्नलिखित हैं:—

(i) अनुसंधान एवं विकास क्रियाकलापों पर किये गये व्यय पर आयकर छूट।

(ii) आन्तरिक अनुसंधान एवं विकास के परिणामों के आधार पर निवेश पर 40% का उच्चतर मूल्यह्रास भत्ता।

(iii) उत्कृष्ट अनुसंधान एवं विकास कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार।

इसके अलावा, पी डी आई एल को गत तीन वर्षों में 4 करोड़ रु० का वार्षिक अनुसंधान एवं विकास अनुदान दिया गया है।

(ङ) उर्वरक एककों और पी डी आई एल के आन्तरिक अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालायें अनुसंधान एवं विकास कार्यों में रत हैं जिनमें निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं:—

(1) नई और उन्नत प्रक्रिया प्रौद्योगिकी का विकास,

(2) उन्नत/नये केटेलिस्ट फार्मूलों का विकास,

(3) फसल के दृष्टिकोण से दक्ष उत्पाद किश्रणों का विकास,

(4) मूल्य वर्धित उत्पादों के उत्पादन के लिए अपशिष्ट पदार्थों का प्रयोग करना,

(5) प्रदूषण नियंत्रण,

(6) स्वदेशी कच्चे माल का प्रयोग,

(7) संक्षारण अध्ययन, और

(8) ऊर्जा संरक्षण।

**हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन और भारतीय उर्वरक निगम द्वारा उठाए गए घाटे**

5667. **श्रीमती सुषमा स्वराज:**
**श्री राम जेठमलानी:**

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर

कारपोरेशन और भारतीय उर्वरक निगम पिछले कई वर्षों से लगातार घाटा उठा रहे हैं;

(ख) मार्च, 1995 के अंत तक एच॰एफ॰सी॰ और एफ॰सी॰आई॰ द्वारा अलग-अलग कितना घाटा उठाया गया;

(ग) मार्च, 1995 के अंत तक इन दोनों संस्थानों में विभिन्न स्रोतों के माध्यम से कितना-कितना पूंजीनिवेश किया गया है;

(घ) क्या सरकार ने इन संस्थानों की इकाइयों की पहचान अलग-अलग की है जो लाभ कमा रही हैं और जो घाटा उठा रही हैं; और

(ङ) यदि हां, तो एच॰एफ॰सी॰ और एफ॰सी॰आई॰ में कुल कितनी इकाइयां हैं और इनमें से कितनी इकाइयां पिछले तीन वर्षों से निरंतर घाटे में चल रही हैं?

**रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एल्फ्रांसो फेलेरियो):** (क) से (ङ) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लि॰ (एचएफसी) और फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया लि॰ (एफसीआई) अपने आरम्भ से ही घाटा उठा रही हैं। 31.3.1995 तक संचित हानि तथा साम्य के रूप में सरकार द्वारा इन कम्पनियों में किए गए पूंजी निवेश नीचे दिए गए हैं:—

| कम्पनी का नाम | संचित हानियां (अनंतिम) | साम्य के रूप में पूंजी निवेश (रु॰ करोड़ में) |
|---|---|---|
| एच॰एफ॰सी॰ | 2635.91 | 696.76 |
| एफ॰सी॰आई॰ | 2451.50 | 651.39 |

इस समय एच॰एफ॰सी॰ और एफ॰सी॰आई॰ के सभी एकक अपनी क्षमताओं से बहुत निम्न प्रचालन कर रहे हैं और हानियां उठा रहे हैं।

**Imposition of tax on text books by States**

5668. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some States in the country have imposed tax on text books prescribed in their respective States;

(b) whether it is also a fact that taxing of text books is contrary to the international covenants under UNESCO to which India is also a signatory; and

(c) whether Government propose to issue necessary directives in this regard; if so, by when?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPTT. OF EDUCATION AND DEPTT. OF CULTURE) (KM. SELJA): (a) The Central Government has not received any report of any tax imposed by the State Governments on textbooks. The State Governments have the autonomy to decide all matters of school education, such as printing, publishing, pricing and distribution of textbooks in respect of schools under their jurisdiction and the Central Government role in such matters is advisory.

(b) Some UN conventions refer to a ban on imposition of customs duties on import of educational material. India is not a signatory to any such convention.

(c) Does not arise in view of (a) above.

**Educational Technology Scheme for Primary Schools in Karnataka**

5669. SHRI K. RAHMAN KHAN: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the number of Primary Schools and Upper Primary Schools which have been assisted in Karnataka under the Educational Technology Scheme district-wise;

(b) whether any programme has been developed in Urdu and how many Urdu Schools in Karnataka have been provided assistance under the scheme;

(c) which agency selects the schools; and

(d) whether aided schools are eligible under this scheme?